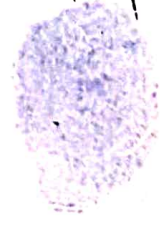


न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चास।

एल0सी0 वाद संख्या-01/2013-14

—: आदेश —:

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
20/2/18 	इस वाद की कार्यवाही आवेदिका श्रीमती टुसिया देवी, पति प्रहलाद महतो, ग्राम चौफान्द, थाना हरला, जिला बोकारो द्वारा भूमि सुधार (भूमि सीमा निर्धारण एवं अधिपेश भूमि अर्जन) अधिनियम 1961 की धारा 16(3)(1) के तहत अग्रक्रय के तहत समर्पित आवेदन के आलोक में प्रारम्भ किया गया है, जो चास अंचल अन्तर्गत, मौजा-रानीपोखर के खाता नं0-453, प्लॉट नं0-5960, रकबा-0.05 एकड़ भूमि से संबंधित है। प्राप्त आवेदन के आलोक में इस वाद की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी, साथ ही उभय पक्षों को सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखने हेतु सूचना निर्गत किया गया है। सुनवाई के दौरान उभय पक्ष की उपस्थिती में उनके विज्ञ अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर दिनांक 20.02.2018 संयुक्त समझौता आवेदन दाखिल किया गया एवं न्यायालय से वाद को समाप्त करने का अनुरोध किया गया। उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना एवं दाखिल संयुक्त समझौता आवेदन का अवलोकन किया गया। संयुक्त समझौता आवेदन के आधार पर इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित।  भूमि सुधार उप समाहर्ता, चास।  भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चास।	<i>C.C. Mishra</i> <i>20/2/18</i>